

प्रेषक,

मीनाक्षी बंसल,  
न्यायिक मजिस्ट्रेट  
कोर्ट नं० २, मैनपुरी।

सेवा में,

माननीय महानिबन्धक,  
माननीय उच्च न्यायालय,  
इलाहाबाद।

द्वारा,

माननीय जनपद न्यायाधीश,  
मैनपुरी।

विषय- विधि स्नातकोत्तर न्यायिक अधिकारी को अग्रिम वेतन वृद्धि दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

ससम्मान निवेदन है कि प्रार्थिनी मीनाक्षी बंसल उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा परीक्षा में वर्ष 2018 में नियुक्त होकर दिनांक 18.11.2019 से जनपद न्यायालय में न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट नं० २ के पद पर कार्यभार ग्रहण किया था एवं वर्तमान में मैनपुरी में कार्यरत है। प्रार्थिनी सेवा में योगदान से पूर्व वर्ष 2015 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से विधि स्नातकोत्तर उत्तीर्ण कर चुकी है।

प्रार्थिनी के सेवा में योगदान के उपरान्त अवगत हुआ कि शासनादेश संख्या 136/दो-4-2009-45 (12)/टी.सी. दिनांक 13 मई 2009 एवं सहपठित शासनादेश पत्रांक संख्या 1707/दो -4-2011-45 (12)/टी.सी. दिनांक 03 जनवरी 2013 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य न्यायिक सेवा में अभ्यर्थियों को तीन अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रार्थिनी को नियमानुसार तीन अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान करने की कृपा करें।

दिनांक-06/08/2020

संलग्नक-

१-विधि स्नातकोत्तर की अंतिम

वर्ष के अंकपत्र की फोटोप्रति

२-विधि स्नातकोत्तर की उपाधि की फोटो प्रति

भवदीया,  
*Minakshi Bansal*  
6/08/2020  
(मीनाक्षी बंसल),

न्यायिक मजिस्ट्रेट

कोर्ट नं० २, मैनपुरी।